



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227286
CG-DL-E-01062021-227286

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1937]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2021/ज्येष्ठ 10, 1943

No. 1937]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2021/JYAISTHA 10, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2021

का.आ. 2082(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1185 (अ), तारीख 12 मार्च, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पुलवामा जिले में NH44 के कि.मी. 220.7 से कि.मी. 286.11 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन को समाचार पत्र "रेजिंग कश्मीर" और समाचार पत्र "श्रीनगर त्यमेज " में 21.03.2021को प्रकाशित किया गया था और उसी के उर्दू संस्करण समाचार पत्र "आफताब" में 26.03.2021 को प्रकाशित किया गया था;

और जबकि निर्धारित अवधि के भीतर इच्छुक व्यक्तियों/जमीन मालिकों से उक्त अधिसूचना के जवाब में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पुलवामा जिले, तालुक अवंतिपुरा गांव कचकूट में NH44 के कि.मी. 220.7 से कि.मी. 286.11 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: पुलवामा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अवंतिपुरा					
गांव का नाम: कचकूट					
1	1711/17	निजी	एग्रीकल्चर	0.000843	महमूदा विधवा बशीर अहमद गणार्ई (1711/17)
2	25	निजी	एग्रीकल्चर	0.001405	समुदाय जमन (25)
3	27	निजी	एग्रीकल्चर	0.008149	मोहम्मद अकबर दार पुत्र गुलाम मोहम्मद दार (27)
4	27	निजी	एग्रीकल्चर	0.027541	मोहम्मद यूसुफ दार पुत्र गुलाम मोहम्मद दार (27)
5	27	निजी	एग्रीकल्चर	0.012365	गुलाम अहमद पुत्र सिद्दीक गणार्ई (27)
6	27	निजी	एग्रीकल्चर	0.056206	मोहम्मद शफी धातक पुत्र खलिक मकरो

					(27)
7	27	निजी	एग्रीकल्चर	0.020515	अब्दुल हमीद पुत्र वली गनाई (27)
8	29	निजी	एग्रीकल्चर	0.002248	अवरार अहमद गनाई पुत्र गुलाम हसन गनाई (29)
			कुल	0.129272	

[फा. सं. 01/NH-44/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st May, 2021

S.O. 2082(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O 1185(E) dated 12.03.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH44 on the stretch of land from Km. 220.7 to Km. 286.11 village Kachachkoot of Tehsil Awantipora in the District of PULWAMA in the Union Territory of JAMMU & KASHMIR;

And whereas the substance of the said notification has been published in " Rising Kashmir" and "Srinagar Times " dated 21.03.2021 and urdu version of the same was published in "Aftab" on 26.03.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections in response to the said notification has been received from the intrested persons/landowners within the prescribed period;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH44 in the stretch of land from Km. 220.7 to Km. 286.11 NH44 in village kachachkoot of Tehsil Awantipora in the District of PULWAMA in the Union Territory of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: PULWAMA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Awantipora					
Village: Kachkoot					
1	1711/17	Private	Agriculture	0.000843	Mahmooda Wd/o Bashir Ahmad Ganaie

					1711/17
2	25	Private	Agriculture	0.001405	Community land 25
3	27	Private	Agriculture	0.008149	Mohd Akbar Dar S/o Gh Mohd Dar 27
4	27	Private	Agriculture	0.027541	Mohd Yousuf Dar S/o Gh Mohd Dar 27
5	27	Private	Agriculture	0.012365	Gh Ahmad S/o Sidiq Ganaie 27
6	27	Private	Agriculture	0.056206	Mohd Shafi Ad S/o Khaliq Makroo 27
7	27	Private	Agriculture	0.020515	Ab Hameed S/o Wali Ganaie 27
8	29	Private	Agriculture	0.002248	Abrar Ahmad Ganaie S/o Gh Hassan Ganaie 29
			TOTAL	0.129272	

[F. No. 01/NH-44/3D]

RAJESH GUPTA, Director